प्रेस नोट संख्या 17

दिनांक 19.02.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मोहनगंज पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी द्वारा हत्या का खुलासा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी व अभियुक्त का पर्स बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 15.02.2026 को आवेदक श्री जगदीश पुत्र शिव प्रसाद निवासी पूरे घिसई मजरे लीही थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना मोहनगंज पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 14.02.2026 को समय करीब 08.30 बजे आवेदक के पिता शिव प्रसाद प्रतिदिन की भांति घर से खाना खाकर बन्दरही में ट्यूबवेल व सुअर बाड़ा की रखवाली हेतु छप्पर में सो रहे थे तभी रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पिता के सिर पर गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी। उक्त सूचना पर थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.02.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में विभिन्न माध्यमों से प्रकाश में आये एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त महेश कुमार पुत्र जगरूप पासी निवासी पूरे दुर्गा दूबे मजरे लीही थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने चुनावी रंजिशवश एवं मृतक शिवप्रसाद द्वारा दी गयी धमकी के कारण शिवप्रसाद उपरोक्त की हत्या कर दी थी । हत्या के समय उपरोक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल संख्या यूपी 33 बीएफ 7440 का प्रयोग किया था । मृतक के ऊपर लोहे की सरिया से वार करते समय मृतक ने उसके दाहिने हाथ की अंगुली को मुंह से काट लिया था जिससे अभियुक्त के हाथ में पकड़ा सरिया जमीन पर गिर गया था, जिसके बाद मड़हे में रखी कुल्हाड़ी एवं हंसिया से सिर व चेहरे पर कई बार वार किया जिससे शिवप्रसाद की मृत्यु हो गई। उसकी लोहे की सरिया मौके पर ही छूट गयी तथा भागते समय उसकी जैकेट से पर्स वहीं गिर गया था। तदोपरान्त मोटरसाइकिल से अभियुक्त नहर की ओर आया और अपने कपड़े व जूते नहर में फेंक दिये। अभियुक्त थाने का चौकीदार है जिसकी ड्यूटी दिनांक 14.02.2026 को थाने पर थी। रात्रि करीब 12 बजे वह थाने के पीछे की तरफ से निकलकर अपनी उपरोक्त मोटरसाइकिल से घटना कारित करने के बाद उसी रास्ते से पुन: वापस आ गया था । पुलिस द्वारा घटना के दिन ही कुल्हाड़ी, लोहे की सरिया व पर्स बरामद किया गया था । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- महेश कुमार पुत्र जगरूप पासी निवासी पूरे दुर्गा दूबे मजरे लीही थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी-

1. आलाकत्ल लोहे की सरिया ।
2. आलाकत्ल कुल्हाड़ी ।
3. अभियुक्त का पर्स ।
4. घटना में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल यूपी 33 बीएफ 7440 ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 43/26 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोहनगंज-

1. श्री राकेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 राजेश दीक्षित थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 अरविन्द सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
5. हे0का0 संतोष थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 शिवम राठौर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
7. का0 रोहित सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
8. का0 अरुण कुमार यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
9. का0 सचिन कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
10. का0 अर्जुन कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

स्वाट/सर्विलांस टीम-

1. श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम अमेठी ।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम अमेठी ।
3. हे0का0 आशीष सिंह सर्विलांस टीम अमेठी ।
4. का0 जयहिन्द यादव स्वाट टीम अमेठी ।
5. का0 सिकन्दर स्वाट टीम अमेठी ।
6. का0 शिवराम स्वाट टीम अमेठी ।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा 25,000/- रुपये नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई ।